संख्या-10/2019/एस-113/38-2-2019-1ब(टी)/2017

प्रेषक,

अशोक कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
दीनदयाल उपाध्याय,
राज्य ग्राम्य विकास संस्थान,
बक्शी का तालाब, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-2 **लखनऊ: दिनांक 16 अप्रैल, 2019**

विषयक :- दीनदयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब लखनऊ तथा नियंत्रणाधीन क्षेत्रीय/जिला ग्राम्य विकास संस्थानों के लिए वित्तीय वर्ष 2019-2020 में अनुदान संख्या-13 के अन्तर्गत प्रावधानित धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-01/1/प्रशि0/बजट आवंटन(4)/2019-20, दिनांक 03 अप्रैल, 2019 तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2019-2020 हेतु अनुदान संख्या-13 के लेखाशीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम,102-सामुदायिक विकास-04-दीनदयाल उपाध्याय ग्राम विकास प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ तथा लेखाशीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम,003-प्रशिक्षण, 03-कर्मचारियों का प्रशिक्षण (क्षेत्रीय/जिला ग्राम विकास संस्थान) के अन्तर्गत सुसंगत इकाइयों से सम्बन्धित होने वाले व्यय को वहन करने हेतु संलग्नक में दिये गये विवरण के अनुसार क्रमश: धनराशि रू0 964.99 लाख (रूपये नौ करोड़ चौसठ लाख निन्यान्नबे हजार मात्र) तथा धनराशि रू0 6078.95 लाख (रूपये साठ करोड़ अट्ठहत्तर लाख पन्चान्नबे हजार मात्र) अर्थात् कुल धनराशि रू0 7043.94 लाख (रूपये सत्तर करोड़ तेतालीस लाख चौरान्नबे हजार मात्र) को आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं

2- उक्त धनराशि का व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय- संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 में प्राविधानित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा उक्त शासनादेश में दिये गये अन्य दिशा-निर्देशों का भी कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

3- इसके अतिरिक्त उक्त धनराशि का व्यय शासन द्वारा समय-समय पर जारी होने वाले मितव्ययिता सम्बन्धी निर्देशों को ध्यान में रखकर ही किया जाय तथा जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4- इस धनराशि का उपयोग उसी प्रकार किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है तथा इसे अन्य कार्यों के लिए डाइवर्ट नहीं किया जायेगा।

5- धनराशि का आहरण स्वीकृत धनराशि की सीमा तक किया जायेगा तथा आहरण में वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

6- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-2020 के अनुदान संख्या-13 के लेखाशीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-102-सामुदायिक विकास-04-दीनदयाल उपाध्याय, ग्राम विकास प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान बक्शी का तालाब लखनऊ तथा लेखाशीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-003 प्रशिक्षण-03 कर्मचारियों का प्रशिक्षण (क्षेत्रीय/जिला ग्राम विकास संस्थान) के अन्तर्गत सुसंगत इकाइयों के नामें डाला जायेगा।

7- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 में प्रतिनिधानित वित्तीय अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक:यथोक्त।

भवदीय,

अशोक कुमार
विशेष सचिव।

संख्या-10/2019/ एस-113(1)/38-2-2019 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम-द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा)/प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त एवं लेखाधिकारी, दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब लखनऊ।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-2/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1/2
6- ग्राम्य विकास अनु0-3
7- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

रमेश चन्द्र मिश्र
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-10/2019/ एस-113 /38-2-2019-1ब(टी)/2017, दिनांक 16 अप्रैल,2019 का संलग्नक।

अनुदान संख्या-13

लेखाशीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम,102-सामुदायिक विकास, 04-दीनदयाल उपाध्याय, ग्राम विकास प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ।

मानक मद	(धनराशि लाख रूपये में)
01-वेतन	620.00
02-मजदूरी	2.80
03-महंगाई भत्ता	93.00
04-यात्रा व्यय	2.00
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	0.30
06-अन्य भत्ते	3.00
08-कार्यालय व्यय	5.00
09-विद्युत देय	60.00
11-लेखन सामग्री एवं फार्मों की छपाई	0.50
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	2.50
13-टेलीफोन पर व्यय	2.00
15-गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद	6.00
16-व्यवसायिक एवं विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	1.00
18-प्रकाशन	0.30
26-मशीने और सज्जा/ उपकरण और संयंत्र	1.35
29-अनुरक्षण	3.00
42-अन्य व्यय	0.50
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	2.00
45-अवकाश यात्रा व्यय	0.50
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	62.25
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	5.00
49-चिकित्सा व्यय	5.50
51-वर्दी व्यय	0.20
52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	50.29
55-मकान किराया भत्ता	30.00
56-नगर प्रतिकर भत्ता	2.00
58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	4.00
योगः-	**964.99**

(रूपये नौ करोड़ चौसठ लाख निन्यान्नबे हजार मात्र)

तथा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अनुदान संख्या-13 लेखाशीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम, 003- प्रशिक्षण, 03- कर्मचारियों का प्रशिक्षण-(क्षेत्रीय/जिला ग्राम विकास संस्थान)

मानक मद	(धनराशि लाख रूपये में)
01-वेतन	4730.00
02-मजदूरी	19.00
03-महंगाई भत्ता	709.50
04-यात्रा व्यय	8.25
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	1.25
06-अन्य भत्ते	30.00
08-कार्यालय व्यय	10.00
09-विद्युत देय	36.40
10-जलकर/जल प्रभार	10.00
11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	1.00
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	2.00
13-टेलीफोन पर व्यय	10.00
15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	7.00
16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	2.00
17-किराया, उपशुल्क और कर स्वामित्व	5.00
26- मशीने और सज्जा/ उपकरण और संयंत्र	10.00
29-अनुरक्षण	2.00
42-अन्य व्यय	0.01
43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	0.50
44- प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	1.00
45-अवकाश यात्रा व्यय	0.75
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	15.00
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	2.00
49-चिकित्सा व्यय	25.00
51-वर्दी व्यय	0.75
52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	325.54
55-मकान किराया भत्ता	92.00
56-नगर प्रतिकरभत्ता	15.00
58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	8.00
योगः-	**6078.95**

(रूपये साठ करोड़ अट्ठहत्तर लाख पन्चान्नबे हजार मात्र)

रमेश चन्द्र मिश्र
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in